



मध्यान्ह भोजन योजना का विद्यालयों में छात्र उपस्थित के सन्दर्भ में समीक्षात्मक अध्ययन

खेम पाल सिंह

सहायक अध्यापक कम्पोजिट विद्यालय, भंगा मो. गंज,

विकास खण्ड-अमरिया, जनपद-पीलभीत।

Paper Received On: 25 MAY 2022

Peer Reviewed On: 31 MAY 2022

Published On: 1 JUNE 2022

Abstract

प्रस्तुत शोध अध्ययन का उद्देश्य मध्यान्ह भोजन योजना का विद्यालयों में छात्र उपस्थित के सन्दर्भ में समीक्षात्मक अध्ययन करना था। प्रस्तुत शोध अध्ययन वर्णनात्मक शोध विधि पर आधारित है। न्यादर्श के रूप में शोधकर्ता द्वारा जनपद पीलीभीत के विकास खण्ड अमरिया के 200 शिक्षकों का चयन साधारण यादृच्छिक न्यायदर्श प्रविधि के द्वारा किया गया। समंकों के संकलन हेतु शोधकर्ता के द्वारा स्व-निर्मित मापनी का प्रयोग किया गया। समंकों के सांख्यिकीय विश्लेषण हेतु प्रतिशत सांख्यिकी का प्रयोग किया गया। प्रस्तुत शोध अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों से ज्ञात हुआ कि पीलीभीत जनपद में मध्यान्ह भोजन योजना विद्यालय में छात्र नामांकन, उपस्थित एवं ठहराव की वृद्धि में सहायक है।

प्रमुख शब्दावली: मध्यान्ह भोजन योजना, शिक्षक, छात्र व समीक्षात्मक अध्ययन।



Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

प्रस्तावना

आज के समय में यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि बालक की शिक्षा विद्यालय में ही होनी चाहिए। यह विद्यालय योग्य व अनुभवी शिक्षकों तथा शिक्षण सुविधाओं आदि से युक्त होनी चाहिए ताकि वे अपने दायित्वों का निर्वाहन आसानी से कर सकें। प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण एक राष्ट्रीय ध्येय के रूप में स्वीकार किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में यह संकल्प व्यक्त किया गया कि 21वीं शताब्दी के शुरू होने से पहले देश में 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को निशुल्क, अनिवार्य तथा गुणवत्ता की दृष्टि से संतोषजनक शिक्षा उपलब्ध कराई जायेगी। मध्यान्ह भोजन योजना भारत सरकार के द्वारा इस उद्देश्य से लागू की गई कि पिछड़े क्षेत्रों में जहां के लोग अति गरीब और पिछड़े हैं उनके बच्चों के लिए पर्याप्त मात्रा में भर पेट भोजन मिल सके। इसलिए इस योजना का आरम्भ 15 अगस्त, सन् 1995 में हुआ इसके अन्तर्गत कक्षा एक से पाँच तक अध्ययनरत् सभी बालक-बालिकाओं जिनकी उपस्थिति 80% हो उनको विद्यालयों से 3 किलो चावल अथवा गेहूँ देने की व्यवस्था की गई और जो लगातार कई वर्षों तक दिया गया। मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28

नवम्बर 2001 को दिये गये निर्देशों के क्रम में प्रदेश में दिनांक 1 सितम्बर 2004 से यह विकास खण्ड के पिछड़े विद्यालयों में पका—पकाया भोजन दिये जाने की व्यवस्था में शुरू की गई। इस योजना के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई है कि सप्ताह के प्रत्येक कार्य दिवस में प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को मीनू के अनुसार गर्म, पका—पकाया पौष्टिक एवं संतुलित भोजन उपलब्ध कराया जाये। योजना की सफलता को दृष्टिगत रखते हुए इसे अक्टूबर, 2007 में पिछड़े विकास खण्डों के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लागू की गई और शेष विद्यालयों में उसके पश्चात लागू कर दी गई। इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के बच्चों के नामांकन में वृद्धि करना बच्चों को स्कूल में बनाये रखना और उनकी उपस्थिति को बढ़ाकर प्राथमिक शिक्षा के सर्व सुलभीकरण को बढ़ावा देना और उनके साथ ही प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को अनुकूल पोषाहार प्रदान करना है।

पृष्ठभूमि

कहने को तो बच्चे देश के भविष्य का आधार तथा किसी भी परिवार के लिए धरोहर होते हैं। देश के भविष्य तथा परिवार की धरोहर को शिक्षा के माध्यम से ही सुरक्षित रखा जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि देश के प्रत्येक बालक का शिक्षा की अत्यन्त आवश्यकता है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अनेक शोधकर्ताओं के द्वारा पूर्व में किये गये शोध अध्ययन निम्न प्रकार है—कौशल (2009) ने ए स्टडी ऑफ ब्रेस्ट प्रेक्टिसिस इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिड-डे मील प्रोगराम इन राजस्थान, एससीइआरटी छत्तीसगढ़ (2014) ने स्टडी ऑफ मिड-डे मील (एमडीएम) प्रोगराम ऑन स्कूल इनरौलमेंट एण्ड रिटेंशन, कुमारी (2019) मिड-डे मील का अध्ययन रोहतक व जीन्द्र जिले के सन्दर्भ में। उपरोक्त शोध अध्ययन के उपरान्त पाया गया कि ऐसा कोई अध्ययन नहीं हुआ कि जो छात्र उपस्थिति के सन्दर्भ में हो। इसीलिए इस शोध अध्ययन की आवश्यकता महसूस की गयी।

अध्ययन का शीर्षक

मध्यान्ह भोजन योजना का विद्यालयों में छात्र उपस्थिति के सन्दर्भ में समीक्षात्मक अध्ययन

संक्रियात्मक परिभाषाएं

मध्यान्ह भोजन योजना

मध्यान्ह भोजन योजना से तात्पर्य परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस के मध्यावकाश में दिया जाने वाले पौष्टिक एवं संतुलित भोजन से है।

छात्र

छात्र से तात्पर्य उन बच्चों से जो परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 1–8 तक की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

उद्देश्य

मध्यान्ह भोजन योजना का छात्रों की उपरिथिति एवं नामांकन के प्रति शिक्षकों के विचारों का अध्ययन करना।

मान्यता

मध्यान्ह भोजन योजना का विद्यालयों में छात्र उपरिथिति एवं नामांकन के सन्दर्भ में शिक्षकों के दृष्टिकोण को सफल माना जा सकता है।

अध्ययन का परिसीमन

प्रस्तुत शोध अध्ययन पीलीभीत जनपद में परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक सीमित है।

शोध विधि

प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधकर्ता द्वारा वर्णनात्मक सर्वेक्षण शोध विधि का प्रयोग किया गया है।

जनसंख्या एवं न्यादर्श

प्रस्तुत शोध अध्ययन में पीलीभीत जनपद के सभी विकासखण्ड में स्थित समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण कर रहे समस्त शिक्षकों को जनसंख्या माना गया है। पीलीभीत जनपद के अमरिया विकास खण्ड के 34 प्राथमिक विद्यालय व 16 उच्च प्राथमिक विद्यालय से 200 शिक्षकों को साधारण यादृच्छिक न्यादर्श विधि के द्वारा चुना गया।

उपकरण

प्रस्तुत शोध अध्ययन में समंको के संकलन हेतु शोधकर्ता द्वारा एक स्वनिर्मित मापनी का प्रयोग किया गया।

मध्याहन भोजन मापनी—स्वनिर्मित।

उपकरण का प्रशासन

उपकरण के प्रशासन हेतु शोधकर्ता ने अन्तिम रूप से चयनित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सभी शिक्षकों से अनुरोधपूर्वक मापनी भरने को कहा कुछ शिक्षक मापनी भरने व प्रश्न पूछने पर कतराते थे लेकिन शोधकर्ता द्वारा जब शिक्षकों के समक्ष अपने उद्देश्य स्पष्ट किये तथा उनके द्वारा प्रदत्त सूचनाओं एवं आकड़ों को गोपनीय रखने का आश्वासन दिया गया तब शिक्षकों ने मापनी पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की।

परीक्षण का फलांकन

तालिका—1

परीक्षण की फलांकन विधि

क्रम सं.	कथन	प्रतिक्रिया	अंक
1	सकारात्मक कथन	सही	1
2	नकारात्मक कथन	गलत	0
3	नकारात्मक कथन	सही	0
4	नकारात्मक कथन	गलत	1

प्रयुक्त सांख्यिकी

प्रस्तुत शोध अध्ययन में संमंकों के सांख्यिकीय विश्लेषण हेतु शोधकर्ता द्वारा प्रतिशत सांख्यिकी का प्रयोग किया गया।


समंको का विश्लेषण

तालिका—2

मध्यान्ह भोजन योजना का छात्र उपस्थिति के सन्दर्भ में शिक्षकों के विचारों का अध्ययन

क्रम संख्या	कथन	हाँ	प्रतिशत	नहीं	प्रतिशत
1.	मध्यान्ह भोजन योजना से छात्र नामांकन में वृद्धि हुई है।	188	94	12	6
2.	मध्यान्ह भोजन योजना प्रारम्भ होने से उपस्थिति में वृद्धि हुई है।	164	82	36	18
3.	मध्यान्ह भोजन योजना के तहत भोजन मीनू के अनुसार दिया जाता है।	200	100	0	0
4.	मध्यान्ह भोजन योजना के संचालन हेतु मध्यान्ह भोजन समिति का सहयोग लिया जाता है।	192	96	8	4
5.	मध्यान्ह भोजन योजना शिक्षण कार्य में बाधा उत्पन्न करती है।	140	70	60	30
6.	मध्यान्ह भोजन योजना प्रारम्भ होने से शिक्षकों पर कार्य का भार बढ़ा है।	176	88	24	12
7.	मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत भोजन वितरण में छात्रों के साथ धर्म—जाति के आधार पर भेद—भाव तो नहीं किया जाता है।	10	5	190	95
8.	विद्यालय में भोजन साफ—सफाई से बनाया जाता है।	200	100	0	0
9.	मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत विद्यालय में प्राप्त होने वाली खाद्यान्न सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।	160	80	40	20
10.	मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत विद्यालय में प्राप्त होने वाली कन्वर्जन कॉस्ट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।	80	40	120	60
11.	मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत मिलने वाला खाद्यान्न की गुणवत्ता उच्च कोटि की होती है।	148	74	52	26
12.	मध्यान्ह भोजन योजना के बाद बच्चे घर चले जाते हैं।	4	2	196	98

13.	मध्यान्ह भोजन योजना से शिक्षा का स्तर तो नहीं पिर रहा है।	40	20	160	80
14.	मध्यान्ह भोजन योजना संचालन में आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलता है।	104	52	96	48
15.	मध्यान्ह भोजन योजना के संचालन होने से बच्चे विद्यालय में नियमित व समय से आते हैं।	176	88	24	12
16.	मध्यान्ह भोजन योजना का लाभ सभी बच्चों को मिलता है।	200	100	0	0
17.	मध्यान्ह भोजन योजना का वितरण ससमय किया जाता है।	152	76	48	24
18.	मध्यान्ह भोजन योजना के संचालन में आपको कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।	100	50	100	50
19.	मध्यान्ह भोजन योजना के समय सभी बच्चे उपस्थित होकर एक साथ भोजन करते हैं।	200	100	0	0
20.	मध्यान्ह भोजन योजना प्रारम्भ होने से छात्र उपस्थिति में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।	192	96	8	4



रेखाचित्र-1

मध्यान्ह भोजन योजना का छात्र उपस्थिति के सन्दर्भ में शिक्षकों के विचारों का अध्ययन

तालिका 2 व रेखाचित्र 1 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि 94 प्रतिशत अध्यापक इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि मध्यान्ह भोजन योजना से छात्र उपस्थिति में वृद्धि हुई है। इस तालिका से विदित है कि 82 प्रतिशत शिक्षक यह स्वीकार करते हैं कि छात्र नामांकन में वृद्धि हुयी है। 100 प्रतिशत अध्यापक यह स्वीकार करते हैं कि विद्यालयों में भोजन मीनू के अनुसार ही दिया जाता है। मध्यान्ह भोजन योजना के सफल संचालन के लिए 96 प्रतिशत शिक्षक यह कहते हैं कि भोजन समिति के सदस्यों से सहयोग लिया जाता है। 70 प्रतिशत अध्यापकों ने यह स्वीकार किया है कि मध्यान्ह भोजन योजना शिक्षण कार्य में बाधा उत्पन्न करती है। मध्यान्ह भोजन योजना के प्रारम्भ होने से 88 प्रतिशत शिक्षकों का मत है कि इससे उनके ऊपर अतिरिक्त भार पड़ा है। 95 प्रतिशत शिक्षक इस कथन को

नकारते हैं अर्थात् किन्हीं भी छात्रों के साथ धर्म जाति का भेद भाव नहीं किया जाता है वहीं 5 प्रतिशत शिक्षकों ने इस बात को स्वीकार भी स्वीकार किया है कि छात्रों के साथ धर्म एवं जाति के आधार पर सामाजिक भेद-भाव किया जाता है। 100 प्रतिशत शिक्षकों ने यह स्वीकार किया कि भोजन साफ सफाई से ही बनाया जाता है। भोजन बनाने से पूर्व व बाद में रसोई घर की व भोजन बनाने के बाद प्रतिदिन साफ-सफाई की जाती है एवं बर्तनों को धोकर ही भोजन बनाया जाता है।

80 प्रतिशत शिक्षकों ने माना कि हमारे विद्यालय में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध रहती है। 40 प्रतिशत शिक्षकों के द्वारा ही स्वीकार किया गया कि हमारे विद्यालयों में कन्वर्जन कॉस्ट (भोजन बनाने में व्यय की जाने वाली धनराशि) विद्यालय में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। 74 प्रतिशत शिक्षकों में माना कि खाद्यान्न सामग्री की गुणवत्ता अच्छी होती है। 98 प्रतिशत शिक्षकों ने इस मत से सहमत है कि छात्र भोजन करने के बाद स्कूल में ही रहते हैं। 80 प्रतिशत शिक्षकों ने बताया मध्यान्ह भोजन योजना से शिक्षा का स्तर नहीं गिरा है। 52 प्रतिशत शिक्षकों ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों का समय-समय पर मध्यान्ह भोजन योजना के संचालन में सहयोग मिलता रहता है। 88 प्रतिशत शिक्षकों ने बताया कि मध्यान्ह भोजन योजना संचालित होने से बच्चे नियमित व समय से विद्यालय आते हैं। 100 प्रतिशत शिक्षकों ने यह स्वीकार किया कि मध्यान्ह भोजन योजना का लाभ सभी बच्चों को मिल रहा है। 76 प्रतिशत शिक्षकों का मत है कि भोजन को ससमय ही वितरण कराया जाता है। 50 प्रतिशत शिक्षकों ने बताया कि मध्यान्ह भोजन योजना में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 100 प्रतिशत शिक्षक इस बात से सहमत हैं कि मध्यान्ह भोजन योजना के तहत भोजन करते समय सभी बच्चे उपस्थित रहते हैं और एक साथ भोजन करते हैं। 96 प्रतिशत शिक्षकों ने माना कि मध्यान्ह भोजन योजना प्रारम्भ होने से छात्र उपस्थिति में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

निष्कर्ष

मध्यान्ह भोजन योजना का छात्र उपस्थिति के सन्दर्भ में शिक्षकों ने यह स्वीकार किया कि मध्यान्ह भोजन योजना से बच्चों की उपस्थिति में वृद्धि हुई है। छात्र विद्यालय आने के लिए प्रोत्साहित हुए हैं क्योंकि उन्हें मध्यावकाश में गरम पका-पकाया सन्तुलित व पौष्टिक भोजन मिलता है। शिक्षकों के विचारों से यह ज्ञात हुआ है कि भोजन प्रति दिन मीनू के अनुसार ही दिया जाता है और भोजन समिति के सदस्य समय-समय पर सहयोग प्रदान करते हैं। अधिकांश शिक्षकों के द्वारा यह स्वीकार किया गया कि मध्यान्ह भोजन योजना लागू होने से अतिरिक्त कार्य का भार पड़ा है इसके लिए शिक्षकों द्वारा यह सुझाव भी दिया गया कि किसी अन्य माध्यम से भोजन की व्यवस्था कराई जाये तो शिक्षण कार्य और अधिक प्रभावी हो सकेगा और उपस्थिति और अधिक बढ़ सकेगी। शिक्षकों ने बताया कि विद्यालय में सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार किया जाता है और सभी को एक साथ ही भोजन कराया जाता है। मध्यान्ह भोजन योजना के तहत जो धनराशि व खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है वह बहुत कम होता

है जिससे मध्यान्ह भोजन योजना में बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए इसे पर्याप्त मात्रा में विद्यालयों को उपलब्ध करायी जाये। विद्यालयों के रसोई घर में नियमित साफ—सफाई होती है। शिक्षकों के विचारों से यह भी ज्ञात हुआ है कि मध्यान्ह भोजन योजना से शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ है और वरिष्ठ अधिकारी समय—समय पर मध्यान्ह भोजन योजना को गहनता से परखते हैं और उचित कार्यवाही भी करते हैं और इसमें उन्हें अपने उच्च अधिकारियों का भरपूर सहयोग मिलता है। मध्यान्ह भोजन योजना में विद्यालय भोजन समिति, माता—पिता अभिभावक समिति, विद्यालय प्रबन्ध समिति एवं गांव के अन्य गणमान्य व्यक्ति भी पूर्ण सहयोग करते हैं। इस योजना के प्रारम्भ होने से छात्र उपस्थिति में वृद्धि भी हुई है और छात्रों का विद्यालय में ठहराव भी बढ़ा है।

निष्कर्ष में पाया गया कि मध्यान्ह भोजन योजना शिक्षण कार्य में बाधा तो उत्पन्न करती है परन्तु छात्र उपस्थिति के सन्दर्भ में यह बहुत ही कारगर साबित हुई है उपस्थिति तो वढ़ी है परन्तु अध्यापकों पर इसका अतिरिक्त भार पड़ा है इसलिए इस योजना को किसी संस्था या गैर सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) के माध्यम से भोजन बनवाने व वितरण की व्यवस्था कराई जानी चाहिए जिससे उपस्थिति में और अधिक वृद्धि हो सके साथ ही कक्षा शिक्षण और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

शैक्षिक निहितार्थ

1. प्रस्तुत शोध अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष शिक्षकों के लिए अति उपयोगी सिद्ध होंगे जिसके आधार पर शिक्षक मध्यान्ह भोजन योजना का संचालन और सक्रियता के साथ कर छात्र उपस्थिति एवं ठहराव की वृद्धि में सहायक होंगे।
2. प्रस्तुत शोध अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष भोजन समिति, अभिभावक—शिक्षक समिति, विद्यालय प्रबन्ध समिति, ग्राम/वार्ड शिक्षा समिति आदि के सदस्यों के लिए भी उपयोगी सिद्ध होंगे जिनके आधार पर वे मध्यान्ह भोजन का उचित वितरण एवं गुणवत्ता का निरीक्षण कर इस योजना को और अधिक प्रभावशाली बनाने में सहयोग कर सकेंगे।
3. प्रस्तुत शोध अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष प्राथमिक शिक्षा से जुड़े समस्त प्रशासनिक अधिकारियों के लिए भी उपयोगी सिद्ध होंगे जिनके आधार वे मध्यान्ह भोजन योजना के संचालन में आने वाली समस्याओं का समय उचित निस्तारण कर शिक्षण प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने में सहायक होंगे।
4. प्रस्तुत शोध अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष शिक्षकों, अभिभावकों व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ—साथ प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों के लिए भी उपयोगी सिद्ध होंगे।

भविष्य में अनुसंधान हेतु सुझाव

प्रस्तुत शोध अध्ययन को सम्पन्न करते समय शोधकर्ता को निम्नलिखित क्षेत्रों पर और अधिक अनुसंधान की आवश्यकता महसूस हुई है वे क्षेत्र निम्नलिखित हैं।

1. प्रस्तुत अध्ययन में शोधकर्ता ने समय, धन व श्रम को ध्यान में रखते हुए छात्र उपस्थिति के सन्दर्भ में समीक्षात्मक अध्ययन किया है भविष्य में शोधकर्ता प्राथमिक स्तर व उच्च प्राथमिक स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान को अपना शोध का विषय बना सकते हैं।
2. भविष्य में शोधकर्ता अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को अपना विषय बना सकते हैं।
3. प्रस्तुत शोध अध्ययन में मध्यान्ह भोजन योजना का अध्ययन जनपद के परिषदीय विद्यालयों में किया गया भविष्य में परिषदीय विद्यालयों के साथ-साथ सहायता प्राप्त विद्यालयों में भी मध्यान्ह भोजन का अध्ययन कर सकते हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- भटनागर, आर. पी. (2006). *शिक्षा अनुसंधान*. मेरठ. लॉयल बुक पब्लीकेशन.
- कौशल, एस. (2009). ए स्टडी ऑफ ब्रेस्ट प्रेक्टिसिस इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिड-डे मील प्रोगराम इन राजस्थान नेशनल यूनीवर्सिटी ऑफ एज्यूकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन.
- स्टडी ऑफ इम्पैक्ट ऑफ मिड-डे मील (एमडीएम) प्रोगराम ऑन स्कूल इनरॉलमेन्ट एण्ड रिटेन्शन. (2014) एससीइआरटी. छत्तीसगढ़.
- कुमारी, एस. (2019). मध्यान्ह भोजन योजना का अध्ययन रोहतक व जीन्द जिले सन्दर्भ में. इन जर्नल ऑफ एडवांस एण्ड स्कॉलरली रिसर्च इन एलाइड एजूकेशन. 16(4).